जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/rpba/17 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 8 जनवरी 2021

क्या राजापार्क अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों और भ्रष्ट अधिकारियों की बपौती है?

भाग-2

क्या राजापार्कवासियों की उदासीनता, इस जिंदादिल शहर को वापस विस्थापियों का बसेरा नहीं बना देगी?

राजापार्कवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस जिंदादिल बस्ती को अवैध निर्माणों की बलि नहीं चढ़ने देवें!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

राजस्थान अपार्टमेन्ट ओनर्सशिप एक्ट 2020

अब राजस्थान के लाखो फ्लेटधारकों,ऑफिसधारकों,शोरूमधारकों को मिलेगा जमीन और कॉमन एरिये का मालिकाना हक!!!

लेकिन राजापार्क के सैकड़ों फ्लेटधारक नहीं उठा पाएंगे इस एक्ट का फायदा और एक बार फिर, बन कर रह जायेंगे बिल्डरों के बनाये अवैध फ्लेटों में विस्थापित!!!

ना रेरा रजिस्टर्ड,ना अपार्टमेन्ट ओनर्सशिप एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत!! सैकड़ों फ्लेटधारक हो रहे भूमाफियाओं की धोखाधड़ी का शिकार!!!

निकाय चुनाव से अटके थे बिल्डिंग बायलॉज अब लागू

जयपुर | नए बिल्डिंग बायलॉज गुरुवार को लागू कर दिए गए है, निकाय चुनाव की वजह से यह अटके हुए थे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने नए बायलॉज लागू करने की पत्रावली पर मंजूरी देने के बाद जेडीए ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।

हालांकि जेडीए ने अपने स्तर पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। नए बायलॉज के लागू होने से अब 250 की बजाय 500 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर निर्माण करने के लिए निकाय के मानचित्र अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में साइट प्लान, मालिकाना हक के दस्तावेज और निर्धारित शुल्क निकायों में जमा कराना होगा।

अब यह रहेगा

9 मीटर चौड़ी सड़क पर 225 से लेकर 750 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर 12 मीटर के बजाय 15 मीटर तक ऊंचाई के भवन बन सकेंगे।

- **12 मीटर चौड़ी सड़क पर 750 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर 18 मीटर ऊंचाई तक भवन बन सकेंगे।**
- विवाह स्थलों के 5000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के कुल क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत क्षेत्रफल को पार्किंग के लिए आरक्षित होगा। इससे बड़े भूखंडों के मामले में 5000 वर्ग मीटर से अतिरिक्त क्षेत्रफल का 35 फीसदी पार्किंग के लिए आरक्षित रखना होगा।
- **छोटे सिनेमाघर न्यूनतम 450 वर्ग मीटर के बजाय 400 वर्ग मीटर के भूखंडों पर बन सकेंगे। इनमें प्रवेश द्वार और एक निकास द्वार के अलावा सिनेमाटोग्राफी एक्ट के तहत** एक आपातकालीन ...

जयपुर में नए बिल्डिंग बाइलॉज लागू

अब 500 वर्ग मीटर के भूखंड के लिए नहीं करवाना होगा मानचित्र अनुमोदन

छोटे आवास मालिकों को दी राज्य सरकार की सौगात

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. निकाय चुनाव की वजह से अटके नए बिल्डिंग बाइलॉज गुरुवार को राजधानी में लागू कर दिए गए। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने नए बाइलॉज लागू करने की पत्रावली पर मंजूरी देने के बाद जेडीए ने अधिसूचना जारी कर दी। नए बाइलॉज में 250 की बजाय 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर निर्माण के लिए निकाय के मानचित्र अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

ऐसे प्रकरणों में साइट प्लान, मालिकाना हक के दस्तावेज और निर्धारित शुल्क निकायों में जमा कराना होगा। वहीं, 2500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर डीम्ड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम लागू कर दिया गया है। निर्माणकर्ता पंजीकृत आर्किटेक्ट से नक्शे निकाय में प्रस्तुत कर मौके पर निर्माण शुरू कर सकेंगे। बिल्डिंग प्लान ...

खास-खास

09 मीटर चौड़ी सड़क पर 225 वर्ग मीटर से लेकर 750 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर 12 मीटर के बजाय 15 मीटर तक ऊंचाई के भवन बन सकेंगे।

12 मीटर चौड़ी सड़क पर 750 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर 18 मीटर ऊंचाई तक भवन बन सकेंगे।

विवाह स्थलों के 5000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों को 50 प्रतिशत पार्किंग के लिए आरक्षित होगा। बड़े भूखंडों के मामले में 5000 वर्ग मीटर से अतिरिक्त क्षेत्रफल का 35 फीसदी पार्किंग के लिए आरक्षित रखना होगा।

छोटे सिनेमाघर या मिनीप्लेक्स न्यूनतम 450 वर्ग मीटर के बजाय 400 वर्ग मीटर पर बन सकेंगे। इनमें प्रवेश द्वार, एक निकास द्वार के अलावा एक आपातकालीन द्वार भी रखना होगा।

ऐसे समझें

बहु निवास इकाई भवन

वर्ग मीटर	निवास इकाई
225 तक	चार
225 से 350	छह
350 से 500	आठ
500 से 750	12

बहु आवास इकाई 12 मीटर सड़क पर ही अनुज्ञेय होगी। 12 मीटर से कम होने पर भूखंडों पर स्वतंत्र आवासीय भवन ही अनुज्ञेय होंगे।

फ्लैट

750 वर्ग मीटर के भूखंड पर चार से अधिक आवासीय इकाइयां फ्लैट मानी जाएगी। सड़क की चौड़ाई 12 मीटर रखनी होगी।

ग्रुप हाउसिंग

5000 वर्ग मीटर या अधिक के आवासीय भूखंड पर बहु निवास परिसर प्रस्तावित होने पर वह ग्रुप हाउसिंग में आएगा।
-पार्क, खुले क्षेत्र, सामुदायिक और सार्वजनिक सुविधाओं और आरक्षित क्षेत्र के रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को देनी होगी।

राजनैतिक संरक्षण के चलते,
सटोरिये,शिक्षा माफिया,चाट-पकोड़ी वाले,दर्जी,लड़कियों के दलाल,
घड़ीसाज आदि लिप्त है अवैध बिल्डिंगों के धंधे में!!
सरकार ने यह बाईलॉज छोटे आवास मालिकों के बनाये है
परन्तु इसका बेजा फायदा राजापार्क के लालची बिल्डर उठाएंगे,
जो पहले के बायलाज पर ही अवैध बिल्डिंगे बनाने से नहीं चुक रहे|
वैसे भी यहाँ के बिल्डर शायद भविष्य के बाईलाज
को ध्यान में रखकर,वर्तमान में यह अवैध बिल्डिंगे बना रहे है

मेयर के दौरे के बाद निगम के अवैध निर्माण सीज किए

जयपुर | जगतपुरा जोन में ग्रेटर नगर निगम महापौर के दौर के बाद में नगर निगम के अधिकारी अलर्ट हो गए है। दरअसल दौरे के दौरान महापौर सौम्या गुर्जर को अवैध निर्माण चलने की शिकायते मिली थी। ऐसे में मेयर ने अफसरों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई थी और कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। मेयर के आदेशों के बाद गुरुवार को मालवीयनगर जोन व सतर्कता शाखा की टीम ने जोन में पांच अलग-अलग चल रहे अवैध निर्माण कार्यों को रूकवाया और बिना निगम की स्वीकृति के निर्माण करने पर सीज कर दिया।

पूरे शहर का दौरा करने वाली महापौर सौम्या गुर्जर आखिर राजापार्क के अवैध निर्माणों को देखने कब आएगी?आखिर किस राजनैतिक दबाव में है मेयर साहिबा!!

अस्थाई अतिक्रमण हटाए, पांच भूखंड किए सीज

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. ग्रेटर नगर निगम की सतर्कता शाखा और मालवीय नगर जोन की टीम ने मनोहरपुरा कच्ची बस्ती और प्रेम नगर से बड़ी संख्या में अस्थाई अतिक्रमण हटाए। बालाजी मोड़ तिराहे पर स्थित आनन्द स्वीट्स और शंकरवाला स्वीट्स के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए टीम ने अतिक्रमण हटाकर सामान जब्त किया। इस दौरान कैरिंग चार्ज के रूप में 13 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया।

बिल्डिंग बाइलॉज का उल्लंघन करने पर पांच निर्माणों को निगम की टीम ने सीज किया। बरकत नगर स्थित भूखंड संख्या 1204, शिव कॉलोनी भूखंड संख्या 06, मालवीय नगर स्थित भूखंड संख्या 04/87, वर्ल्ड ट्रेड पार्क के पीछे स्थित भूखंड संख्या 47 विजयनगर और महालक्ष्मी नगर के भूखंड संख्या सी 3 को सीज किया गया।

जागो राजापार्कवासियों अब तो अपनी आवाज उठाओं!!!!

इन भूमाफियाओं और भ्रष्ट अधिकारीयों को जेल का रास्ता दिखाओ!!